



10 सितम्बर, 2024

अपील

हिन्दी दिवस 2024 के अवसर पर मंत्रालय व इसके सभी अधीनस्थ कार्यालयों के समस्त अधिकारियों और कर्मचारियों को मेरी हार्दिक शुभकामनाएं।

स्वतंत्र भारत की संविधान सभा ने दिनांक 14 सितंबर, 1949 को सर्वसम्मति से हिन्दी को संघ की राजभाषा के तौर पर अंगीकार किया था। इसी उपलक्ष्य में प्रति वर्ष 14 सितंबर को हिन्दी दिवस के रूप में मनाया जाता है।

भारत एक विविधता से भरा देश है, जहाँ विभिन्न भाषाएँ और संस्कृतियाँ पाई जाती हैं। लेकिन हिन्दी एक ऐसी भाषा है, जो देश की एकता और अखंडता का प्रतीक है। यह भाषा न केवल देश के विभिन्न हिस्सों में बोली जाती है, बल्कि यह देश की संस्कृति, शिक्षा, सरकारी कामकाज, व्यापार और साहित्य का भी महत्वपूर्ण हिस्सा है। हिन्दी भाषा संचार का ऐसा सशक्त माध्यम है, जो देश के विभिन्न हिस्सों के लोगों को एक दूसरे से जुड़ने में मदद करता है।

हिन्दी हमारी राजभाषा अर्थात् सरकारी कामकाज की भाषा है, जिसके माध्यम से देश के विभिन्न हिस्सों के आम लोगों तक भारत सरकार की विभिन्न योजनाओं और कार्यक्रमों की जानकारी पहुँचती है तथा उन्हें सरकारी सेवाओं का लाभ उठाने में मदद मिलती है। अतः मंत्रालय तथा इसके अधीनस्थ कार्यालयों के सरकारी कामकाज में हिन्दी का अधिक से अधिक प्रयोग करने से देश के विभिन्न हिस्सों के लोगों को मंत्रालय की योजनाओं और नीतियों के बारे में जानकारी मिलेगी, जिससे उन्हें सरकारी सेवाओं का लाभ उठाने में भी मदद मिलेगी।

इस अवसर पर मैं आप सभी से आग्रह करता हूँ कि अपने कार्यालयीन कार्यों में हिन्दी का अधिक से अधिक प्रयोग करें, हिन्दी में पत्राचार करें और हिन्दी में दस्तावेज तैयार करें। हिन्दी का प्रयोग करने से हमारे कार्यों में और भी सुगमता आएगी और हमारी संचार प्रणाली मजबूत होगी।

इसके अलावा, हमें हिन्दी भाषा के प्रसार के लिए काम करना चाहिए और दूसरों को भी हिन्दी सीखने के लिए प्रेरित करना चाहिए। हमें हिन्दी के माध्यम से अपनी संस्कृति और परंपराओं को दुनिया के सामने प्रस्तुत करना चाहिए और हिन्दी को वैश्विक स्तर पर प्रसिद्ध बनाना चाहिए।

आइए, हम सब मिलकर हिन्दी को बढ़ावा दें, इसके महत्व को समझें, इसके प्रति अपनी जिम्मेदारी को समझें और इसके प्रयोग को बढ़ाएं।

जय हिंद,


(सर्बानंद सोणोवाल)